By Speed Post

सत्यमेव जयते

No. DB/17/2019/STGRJ/DEOTH/RU-II

Government of India

National Commission for Scheduled Tribes

****

6th floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
Date:- 12.07.2019

To

1. The Chief Secretary,
Government of Rajasthan,
Rajasthan Secretariat,
Jaipur (Rajasthan)

2. The Secretary,
Ministry of Tribal Affairs,
7th Floor, 'A' Wing,
Shastri Bhawan,
New Delhi-110001.

Sub:- Minutes of the sitting held on **03.06.2019 at 4:00 P.M.** under the Chairmanship of Dr. Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson of NCST, New Delhi on representation dated nil of Shri Dulichand Bheel, State President, Rajasthan Adivasi Bheel Arakchhan Sanghars Samiti, Village-Piplda Khurd, Tehsil Piplda, District-Kota, Rajasthan regarding constitutional justification to Advivasi Bheel Community in Rajasthan.

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of the minutes of the Sitting held on **03.06.2019 at 4:00 P.M.** in the Commission under the Chairmanship of Dr. Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson of NCST, New Delhi, Lok Nayak Bhawan ,Khan Market, New Delhi-110 003 on the above mentioned subject for necessary action. Action Taken Report may please be furnished to the Commission at the earliest.

Yours faithfully,

Encl:-As above.

(S.P. Meena)
Assistant Director
Tel: 24645826

Copy to:-

1. Shri Dulichand Bheel, State President, Rajasthan Adivasi Bheel Arakchhan Sanghars Samiti, Village-Piplda Khurd, Tehsil Piplda, District-Kota, Rajasthan.

2. NIC

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

बैठक की कार्यवृत्त रिपोर्ट(03.06.2019 समयः 04:00 बजे)

विषयः—मीणा जाति के फर्जी जाति प्रमाण—पत्रों के संबंध में श्री दुलीचंद भील, प्रदोशाध्यक्ष राजस्थान आदिवासी भील आरक्षण संघर्ष समिति ग्राम—पीपलदा खुर्द, तहसील—पीपलदा, जिला—कोटा से प्राप्त अभ्यावेदन के संबंध में।

दिनांक 3 जून 2019 को शाम 4:00 बजे आयोग के माननीय अध्यक्ष डॉ नन्दकुमार सॉय की अध्यक्षता में श्री दुलीचंद भील, प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान आदिवासी भील आरक्षण संघर्ष समिति ग्राम—पीपलदा, जिला—कोटा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर सीटिंग हुई। इस बैठक में अभ्यावेदनकर्त्ता ने निम्नलिखित मुद्दो पर आयोग का ध्यान आकर्षित किया।

1 राजस्थान सरकार मीणा जाति को जो फर्जी आदिवासी हैं, नौकरी प्रदान कर भील आदिवासीसमाज के संवैधानिक अधिकारो का गलाघोट रही है।

2 मीणा—मीना विवाद उच्च न्यायालय में लम्बित है जबकि मीणा को मीना के नाम से जाति प्रमाण देकर नौकरी प्रदान की जा रही है।

3 भील आदिवासी को आरक्षण का लाभ नही मिला है। राजस्थान में 12 प्रतिशत आरक्षण का फायदा एक तरफा मीणा जाति को ही मिल रहा है। जबकि मीणा जनजाति नही है और यह प्रार्थना की गई कि दिनांक 26—8—2013 के बाद से मीणा जाति के प्रमाण पत्र मीना नाम से बनाये गए फर्जी प्रमाण पत्रो को अविलम्ब अवैध धोषित कर भील जनजाति को न्याय दिलवाये जाने के स्पष्ट आदेश प्रदान करे।

इस मामले को आयोग ने बड़ी गंभीरता से लिया तथा विस्तृत जानकारी के लिए मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार एवं सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को दिनांक 18.01.2018 को पत्र लिखा। परंतु, इसका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए आयोग के माननीय अध्यक्ष ने प्रकरण पर विस्तृत जानकारी के लिए दिनांक 08.02.2019 को मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं अभ्यावेदकों के साथ बैठक निर्धारित की थी। बैठक में मुख्य सचिव राजस्थान सरकार व सचिव, जनजातीय मंत्रालय भारत सरकार उपस्थित नहीं हुए। बैठक में निदेशक, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान निदेशक, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में चल रहे प्रकरण में एफिडेविट दिया गया था। जिसमें मीना (MINA) एवं मीणा (MEENA) दोनों को एक ही जाति का मानते हुये कहा गया था कि केवल स्पेलिंग का ही अन्तर है, दोनों की जाति एक ही है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 30.09.2014 को समस्त जिला कलेक्टर्स को स्पेलिग रूपांतरित कर पुनः उसी व्यक्ति को जाति प्रमाण—पत्र जारी करने हेतु रोक लगाई गई। निदेशक ने यह भी अवगत कराया कि वर्तमान में प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान में विचाराधीन होने के कारण अर्द्ध न्यायिक है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने अपने पत्र संख्या 17011/27/2018.सी एंड एल एम दिनांक 29.05.2019 के द्वारा प्रदान की गई सूचना से अवगत कराया कि अनुसूचित जनजातियों के स्पेलिग के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.11.2000 (Case No. 652 of 2000 (Civil Appeal No. 2294 of 1986) State of Maharashtra V/s Milind) को देखना चाहिए। जनजातीय कार्य मंत्रालय की इसमें कोई भूमिका नहीं है क्योंकि प्रकरण में मामला उस समुदाय के बारे में है जो अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है तथा इस प्रकरण का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है।

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

माननीय अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट किया कि जाति प्रमाण–पत्रों की वैधता की जांच करने का अधिकार राज्य एवं जिला स्तरीय छानबीन कमेटी को ही है। अतः अभ्यावेदनकर्त्ता को फर्जी जाति प्रमाण–पत्र के संबंध में शिकायत जिला एवं राज्य स्तरीय छानबीन कमेटी में करना होगा, जो एक निर्धारित प्रक्रिया है।

अभ्यावेदनकर्त्ता ने अवगत कराया है कि भील आदिवासी को आरक्षण का लाभ नही मिला है तथा 12 प्रतिशत आरक्षण का फायदा एक तरफा मीणा जाति को ही मिल रहा है। इस सम्बन्ध में आयोग राज्य सरकार से अनुशंसा करता है कि राज्य सरकार एक ऐसी व्यवस्था करे जिसमें प्रत्येक जनजाति (भील, मीना, डामोर, गरासिया आदि) को आरक्षण का लाभ प्रत्येक जनजाति के जनसंख्या के आधार पर मिल सके। ऐसा नही होना चाहिए कि आरक्षण तथा विभिन्न योजनाओ एवं कार्यक्रमो का लाभ केवल एक जनजाति उठा ले और शेष जनजाति उससे वंचित रह कर पिछड जाए।

इसके अलावा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों ने माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष बीपीएल कार्ड बनवाने में आ रही समस्या का समाधान करने, किसानों को वरीयता के आधार पर कुंओं पर बिजली कनेक्शन दिलवाने, अनुसूचित क्षेत्र के बाहर भी, आश्रम छात्रावास व एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोले जाने की बात कही। जिन पदों के नियुक्ति अधिकारी जिला स्तर के अधिकारी हैं उन जिलों में स्थानीय उम्मीदवारों को वरीयता की बात कही। ऐसा करने से स्थानीय अनुसूचित जनजातियों को अधिक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने गंभीरता से आदिवासी भील आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों से आदिवासी भील आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों द्वारा उठाई गई समस्याओं को लिया। उन्होंने राज्य सरकार को सुझाव दिया कि राज्य सरकार शीघ्र उठाई गई समस्याओं पर विचार करें और न्यायोचित कदम उठावे। राज्य सरकार दो माह में उचित निर्णय लेकर निर्णय से आयोग को अवगत करावें।

10.07.019

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

विषयः–मीणा जाति के फर्जी जाति प्रमाण–पत्रों के संबंध में श्री दुली चंद भील, प्रदोशाध्यक्ष राजस्थान आदिवासी भील आरक्षण संघर्ष समिति ग्राम–पीपलदा खुर्द, तहसील–पीपलदा, जिला–कोटा के मामले में बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची।

क्रम सं.	नाम	पदनाम	
1	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग		
1.	डॉ नंदकुमार साय, माननीय अध्यक्ष		
2.	श्री हरिकृष्ण डामोर, सदस्य		
3.	श्री ए.के.सिंह, सचिव		
4.	डॉ ललित लट्टा, निदेशक		
5.	श्री एस.पी.मीना, सहायक निदेशक		
2	जनजातीय कार्य मंत्रालय		
1.	श्री ए.के.सिंह, संयुक्त सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, 7 वीं मंजिल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001.		
2.	श्रीमती सायल टायटस, निदेशक, जनजातीय कार्य मंत्रालय, 7 वीं मंजिल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001		
3	राज्य सरकार		
1.	श्री साबरमल वर्मा, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर, राजस्थान		
4	अभ्यावेदक		
1.	श्री दुलीचंद, प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान आदिवासी भील आरक्षण संघर्ष समिति ग्राम–पीपलदा खुर्द, तहसील–पीपलदा जिला–कोटा, राजस्थान		
2.	रामनारायण धाणका		
3.	मदनलाल धाणका		
4.	रतनकुमार सिंह धाणका		
5.	बखताराम भील, बाड़मेर		
6.	राजकुमार सिंह धाणका		
7.	हरिनारायण धाणका		
8.	रामसिंह धाणका		
9.	मुकनाराम भील, बाड़मेर		
10.	बुलाराम धाणका		
11.	जमनालाल भील,		
12.	भूराराम मीणा, बाड़मेर		
13.	बाबूलाल मीणा, अजमेर		
14.	शंकरलाल दहिया, जिला भील समाज विकास समिति बाड़मेर		
15.	गेनाराम भील		
16.	जालकाराम भील		